न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण		**अप्रार्थीगण**
अल्पेश पुत्र देवारामजी जाति माली निवासी शिवगंज	**बनाम**	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पराज सोनी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 98/2025

–::आदेश::–

दिनांक 17.02.2026

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अन्य खातेदारो की शामलाती राजस्व भूमि गांव बादला, पटवार हल्का बादला, तहसील शिवगंज के खसरा सं. 24, 33 कुल रकबा 2.3714 हैक्टेयर आई हुई है। जिसमें प्रार्थी का 5/22 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। मुख्य रास्ता खसरा सं. 23 में जो किस्म पहाड राजस्व रेकर्ड में दर्ज है उक्त रास्ते पहाड से लगता हुआ प्रार्थी का खेत खसरा सं. 33 तक रास्ता जाता है। प्रार्थी के खातेदारी राजस्व भूमि पर मवेशी ले जाने, खडाई हेतु टैक्ट्र व अन्य कृषि कार्य इत्यादी करने हेतु खेत तक आने जाने के लिए मुख्य रास्ता खसरा सं. 23 पहाड के किनारे किनारे से लगता हुआ रास्ता प्रार्थी के खेत तक जाता है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी व पूर्व खातेदारो द्वारा करते आ रहे है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने पडौसी खातेदारो द्वारा बार बार बन्द दिया जाता है। पडौसी खातेदारो ने जानबूझकर प्रार्थी के खेत मे कृषि कार्य हेतु आने–जाने से रोकने व रोड़े अटकाने हेतु पडौसी खातेदार के खेत खसरा सं. 37 व खसरा सं 23 पहाड़ के किनारे किनारे से सटा हुआ प्रार्थी के खेत तक स्थित एक मात्र रास्ता को अडौसी खातेदारो अवरोधक व कांटो की बाड कर बन्द कर देते है, जिससे प्रार्थी का अपने खेत मे जाकर कृषि कार्य करना असंभव हो गया है। प्रार्थी द्वारा अपने खेत मे जाने हेतु चाहा गया रास्ता मुख्य रास्ता खसरा सं. 33 पहाड़ के किनारे किनारे से होते हुये खसरा सं. 37 के लोर से लगता हुआ व खसरा सं. 33 तक जाता है। जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा मे लाल स्याही से ''ए'' से ''बी'' दर्शाया गया है। प्रार्थी के खेत खसरो तक आने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शे मे दर्शाया गया रास्ता ''ए'' से ''बी'' प्रार्थी के लिए सुविधाजनक उपयोग हेतु है बल्कि प्रार्थी के खेत खसरो तक आने जाने हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध नही होने से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता तथा प्रार्थी को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये स्थान से रास्ता दिया जाना प्रार्थी के खेत से लघुतम दुरी पर स्थित है, अतः प्रार्थी का खेत मे आने जाने चाहे गये स्थान से लघुतम दुरी पर स्थित होने से धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने के विधि मे निहित प्रावधान अनुसार रास्ते के बदले नियत की जाने वाली राशि अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर मुख्य रास्ता खसरा सं. 23 किस्म पहाड़ के किनारे किनारे व अड़ौसी खातेदारो के खसरा सं. 37 के लोर से लगता हुआ प्रार्थी के खेत तक आने जाने हेतु संलग्न नक्शे में लाल स्याही से ''ए'' से ''बी'' 30 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज व तरमीम का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करावे। साथ ही अन्य कोई अनुत्तोष जो प्रार्थी के हक में न्यायोचित हो, दिलाया जाना फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.12.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी स्टेट को नोटिस जारी किया गया एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 666 दिनाक 04.12.2025 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार शिवगंज के पत्र कमांक 30 दिनांक 04.02.2026 के द्वारा रास्ते का प्रस्ताव पेश किया। तहसीलदार शिवगंज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है व उपरोक्त खातेदारी में प्रवेश का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतु ग्राम बादला के खसरा नं0 23 रकबा 3.9093 हैक्टयर किस्म पहाड भूमि में से प्रस्तावित किया गया है जो बिलानाम (राजस्थान सरकार) के नाम दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता 168 मीटर लम्बा तथा 9.15 मीटर चौडा है जिसका कुल क्षेत्रफल 1537.2 वर्गमीटर बनता है जो निकटवर्ती सरकारी रास्ता खसरा से जुडता है तथा लधुत्तम दूरी पर है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर 1,42,000/– रूपये प्रति हेक्टयर है जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि की कीमत 21828/–रूपये बनती है जिसकी दुगुनी कीमत 43656/–रूपये बनती है। दिनांक 10.02.2026 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर तहसीलदार शिवगंज द्वारा भिजवाये गये रास्ते के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की गई।

सहायक कलक्टर (सिरोही)

शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 98/2025
अल्पेश बनाम तह0 शिवगंज
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लधुत्तम दूरी पर स्थित है, रास्ते की अत्यंत आवश्यकता सिद्ध की है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

कसं0	खातेदार का नाम	मौजा व खसरा नं0	खसरे में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल	डीएलसी दर	डीएलसी दर के कीमत रूपये	प्रार्थीगणों द्वारा जमा कराने योग्य दुगुनी राशि
1	बिलानाम (राजस्थान सरकार)	**बादला 23**	168X9.15 =1537.2 वर्गमीटर	1,42,000 रू0 प्रति0 हैक्टयर	21828	43656/–रूपये अक्षरे तैयालीस हजार छः सौ छप्पन रूपये मात्र।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–1** के अनुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा बादला तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 24, 33 कुल रकबा 2.3714 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा बादला के उपर सारणी के अनुसार भूमि में से पंहुचने हेतु सरकारी बिलानाम भूमि के मौजा बादला के खसरा नं0 23 रकबा 3.9093 हैक्टयर में से 9.15 मीटर चौडा एवं 168 मीटर लम्बाई की डीएलसी दर 1,42,000/–रूपये प्रति हेक्टयर होने से राशि 21828/–रूपये होती है जिसकी **दुगनी राशि 43656/–(तैयालीस हजार छः सौ छप्पन) रूपये** का भुगतान प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय शिवगंज के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही सरकारी बिलानाम भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्रा)
सहायक कलक्टर
शिवगंज
दिनांक 17.02.2026

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2026/ 83
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को एक माह में पालना कर रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज

सहायक कलेक्टर
शिवगंज (सिरोही)